# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

निग – 2981 – पीबीआर/16 प्र0क्रं0....................../16

(1) **गोकल प्रसाद** आ0श्री सिद्धनाथ बैरागी
(2) **सत्यनारायण** आ0श्री प्रेमनारायण बैरागी
दोनों निवासीगण–ग्राम भ्याना, तहसील सारंगपुर,
जिला राजगढ़ (म0प्र0) ––– **निगरानीकर्तागण**

**विरूद्ध**

(1) **कैलाश नारायण** आ0श्री मांगीलाल जी शर्मा
निवासी–ग्राम भ्याना, तहसील सारंगपुर,
जिला राजगढ़ (म0प्र0) ––– **प्रतिनिगरानीकर्तागण**

## म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी

**महोदय,**

निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के प्र0क्रं0–30/अपील/बी–121/15–16 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2016 के विरुद्ध यह निगरानी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी2981–पीबीआर / 16 जिला राजगढ़

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 2–9–2016 | आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 5–8–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाले हुये कि तहसीलदार की आदेशिका दिनांक 26–6–15 में अनावेदक के उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर है, परन्तु प्रकरण में अग्रिम पेशी नियत करने संबंधी सूचना स्वरूप अनावेदक के हस्ताक्षर नहीं है। इसके अतिरिक्त दिनांक 16–7–2015 को तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया है और उसकी सूचना भी अनावेदक को नहीं दी गई है, अनावेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।<br><br>अध्यक्ष | |